

न्यायालय सहायक कलक्टर अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण
मुकदमा नम्बर 237/2017 उन्वान प्रमोद बनाम रामकिशोर

प्रमोद पुत्र रामकिशोर, आयु 32 साल जाति तेली, निवासी अराई तहसील अराई जिला अजमेर
राज. व अन्य -वादीगण

बनाम

रामकिशोर पुत्र रामनारायण जाति तेली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
व अन्य। - प्रतिवादीगण


निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 31.05.2024

उपस्थित:- वकील उभयपक्ष दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 11.12.2017 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 237/2017 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 08 एक दूसरे के रक्त संबंधी है तथा प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र है तथा अन्य परिवारजन है। यह है कि ग्राम अराई में स्थित भूमि खसरा संख्या 281/3518, 1128, 1564, 1565 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 05 बीघा 07 बीस्वा जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है, इसी प्रकार ग्राम अराई के खसरा संख्या 1562, 1570, 2897 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 105 बीघा 17 बीस्वा में जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है, खसरा संख्या 281, 611, 624, 1129, 1563, 1568, 1709 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 40 बीघा 11 बीस्वा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि पैतृक एवं अविभाजित है, तथा पैतृक भूमि होने से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का भी हिस्सा निहित है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 एवं अन्य अप्रार्थीगण कतिपय कारणों से उक्त अविभाजित एवं पैतृक भूमि का बेचान करने पर उतारू है, जो कि विधिविरुद्ध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के

विरुद्ध इस आशय की वाद गुणावगुण के निस्तारण तक की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वादअधीन प्रार्थीगण का हक हिस्सा निर्धारित होने तक अप्रार्थीगण ग्राम अराई में स्थित उपयुक्त वादअधीन



उपरोक्त अधिकारी
अराई (अजमेर)

भूमि का बिना विभाजन करवाये किसी विशिष्ट भाग को किसी भी रूप में अन्तरित नहीं करें, भारग्रस्त नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जे काशत में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

प्रकरण में दिनांक 11.12.2017 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। दिनांक 09.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 07, 08 की ओर से वकील श्री प्रतीक मेहता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। दिनांक 05.11.2019 को वकील अप्रार्थी संख्या 07, 08 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, प्रार्थीगण वादअधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार नहीं है ऐसी स्थिती में संयुक्त परिवार की अवधारणा के अनुरूप प्रार्थीगण किसी प्रकार से जवाबकर्तागणों जो कि रिकार्डेड काबिज खातेदार हैं कि विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 के साथ दुर्भिसन्धी कर, जवाबकर्तागणों द्वारा बंटवारे के प्रस्तुत वाद को विफल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जिसे की खारिज फरमाया जावे। दिनांक 20.11.2019 को वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 05 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 का पेश किया गया जिसे दिनांक 06.01.2020 को स्वीकार किया गया, दिनांक 28.01.2020 को वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 04 द्वारा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि अप्रार्थीगण के साथ साथ प्रार्थीगण को भी वादअधीन भूमि के अन्तरण से रोका जाना आवश्यक है। दिनांक 03.05.2024 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी से ताईद है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 08 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है तथा जमाबन्दी संम्वत 2047-50 से ताईद है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण को जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। प्रार्थी संख्या 01 व 02 अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र है। बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण हम धारा 212 राज.का. अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं जिनका विवेचन इस प्रकार है:-

1.प्रथम दृष्टया प्रकरण-प्रार्थी संख्या 01 व 02 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी पुश्तैनी संपति पर जन्म से हक निहित है, यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

2.सुविधा का संतुलन- यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादअधीन भूमि का बेचान किया गया तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी, यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

3.अपूरणिय क्षति- पुश्तैनी संपति के खुर्द बुर्द एवं बेचान से प्रार्थीगण के अपूरणितय क्षति होना कारित है। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है किन्तु प्रार्थीगण का हिस्सा केवल अपने पिता, अप्रार्थी संख्या 01

के हिस्से में ही निहित है, शेष रिकार्डेड खातेदारों के हिस्से में नहीं। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 व शेष अप्रार्थीगणों को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। अतः



उपरोक्त प्रकरण की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधीन भूमि ग्राम अरांई तहसील अरांई में स्थित खाता संख्या 400 के खसरा संख्या 281/3518, 1128, 1564, 1565 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070-2073) में रामकिशोर के 1/8 हिस्से में प्रार्थीगणों के 1/12 हिस्से तक, खाता संख्या 401 के खसरा संख्या 1562, 1570, 2897 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070-2073) में रामकिशोर के 3/16 हिस्से में प्रार्थीगणों के 1/8 हिस्से तक, खाता संख्या 402 के खसरा संख्या 281, 611, 624, 1129, 1563, 1568, 1709 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070-2073) में रामकिशोर के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगणों के 1/6 हिस्से तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफतर दाखिल हो।




उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अ.क.)
अरांई